(1)

उत्तर रेलवे
NORTHERN RAILWAY

प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली।

# मु0क्र0सं0 13500/50

पं.सं. 561-ई/6 सी.पी.सी./08

दिनांक 27/11/2008

सभी मुख्य विभागाध्यक्ष
समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- Railway Services (Revised Pay) Rules- 2008
Schedules for Revised Scales of pay.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. PC-VI/2008/I/RSRP/1 दिनांक 19/11/2008 (आर.बी.ई.सं.184/2008) क्र.सं. पी.सी.-VI/ 50 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

इसमें उल्लिखित रेल मंत्रालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 11/09/2008 (RBE No. 108/2008), दिनांक 22/09/2008 (RBE No. 124/2008) एवं दिनांक 30/10/2008 (RBE No. 162/2008)की प्रतिलिपि मु0क्र0सं0 13500/2, 13500/18 एवं 13500/41के अन्तर्गत भेजी जा चुकी हैं।

संलग्न/यथोक्त

27/XI/2008

(Trilok Choudhari)
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र.का. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव; एनआरएमयू; 12 चेम्सफोर्ड रोड; नयी दिल्ली
3. महासचिव; अ0भा0अ0जा0/अ0ज0जा0 रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी लाजपतनगर; नईदिल्ली-24
4. महासचिव; अ0भ0अ0पि0व0 रेल कर्मचारी संगठन 171/ए;3 बसंत लेन नई दिल्ली।

2

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेल मंत्रालय)

क्रम संख्या पी सी–6/50 आर बी ई सं. 184/2008

सं. पी सी–6/2008/आई/आरएसआरपी/1 नई दिल्ली, दि. 19 .11.2008

महाप्रबन्धक/मुख्य प्रशासनिक अधि. (आर)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
( डाक सूची के अनुसार)

विषय : रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 – संशोधित वेतनमानों का शिड्यूल

इस मंत्रालय के दिनांक 11.09.2008 के पत्रांक पी सी–6/2008/आई/आरएसआरपी/1 (आरबीई सं. 108/2008 ) द्वारा जारी तथा इस मंत्रालय के दिनांक 22.09.2008 के समसंख्यक पत्र (आरबीई सं. 124/2008 ) एवं दिनांक 31.10.2008 के समसंख्यक पत्र ( आरबीई सं. 162/2008) द्वारा संशोधित शिड्यूल के संलग्नक "ख" की निरंतरता में निम्नांकित को दर्शाये गये स्थान पर अंतःस्थापित किया जाये :–

| क्रम सं. | पद | वर्तमान वेतनमान (रु.) | संशोधित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | वेतन बैण्ड का नाम | समकक्ष वेतन बैण्ड (रु.) | ग्रेड वेतन (रु.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | सामान्य: | | | | |
| 10.4 | राजभाषा स्टाफ: | | | | |
| (i) | राजभाषा अधीक्षक | 6500-10500 | पीबी–2 | 9300-34800 | 4600 |

(छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की कुछ अन्य कोटियों के बारे में अनुशंसायें अभी निरीक्षणाधीन है। निर्णय होने तक सामान्य प्रतिस्थापन वेतन ढांचा जोकि प्रथम शिड्यूल में दिये गये हैं, लागू होगा)

(यू. के. तिवारी)
उप निदेशक/वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड

(3)

2

# GOVERNMENT OF INDIA / BHARAT SARKAR
## MINISTRY OF RAILWAYS / RAIL MANTRALAYA
## (RAILWAY BOARD)

S. No. PC-VI/ 50

RBE No. 184 /2008

No. PC-VI/2008/I/RSRP/1

dated 19-11-2008

The General Managers/CAO(R),
All Indian Railways &
Production Units.
(As per mailing list)

Sub:- Railway Services (Revised Pay)Rules,2008 – Schedules for Revised Scales of Pay.

---

In continuation to Annexure 'B' of Schedule circulated vide Ministry of Railways' letter no. PC-VI/ 2008/I/RSRP/1 dated 11-09-2008 (RBE No. 108/2008) as further amended vide this Ministry's letter of even Number dated 22-09-2008 (RBE No.124/2008) and 30.10.2008 (RBE No.162/2008), the President is pleased to decide that the following may be inserted as indicated against each, in the said letters:-

| SN | Post | Present Scale (Rs.) | Revised Pay Band & Grade Pay | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Name of Pay Band | Corresponding Pay Band (Rs.) | Grade Pay (Rs.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | **GENERAL** : | | | | |
| 10.4 | **Rajbhasha staff**: | | | | |
| (i) | Rajbhasha Superintendent | 6500-10500 | PB-2 | 9300-34800 | 4600 |

(Recommendations of the 6th CPC on pay scales for certain other categories are under examination. Pending decision, the normal replacement pay structure as in the First Schedule would apply)

( U. K. Tiwari )
Dy. Director, Pay Commission

No. PC-VI/2008/I/RSRP/1

New Delhi, dated 19-11-2008

Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways), New Delhi.

for Financial Commissioner (Railways)